

Seventeenth Loksabha

an>

Title : Motion regarding Multi-State Co-Operative Societies (Amendment) Bill, 2022 referred to Joint Committee.**माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 26, माननीय गृह मंत्री जी ।****गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:**

“कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य, अर्थात्:-”

1. श्री सी.पी. जोशी
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
4. श्रीमती पूनमबेन माडम
5. श्री रामदास तडस
6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
7. डॉ. निशिकांत दुबे
8. सुश्री सुनीता दुग्गल
- 9 श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्रीमती जसकौर मीना
11. श्री राम कृपाल यादव
12. डॉ. ढालसिंह बिसेन
13. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
16. श्री कल्याण बनर्जी
17. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
18. श्री हेमन्त पाटिल
19. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
20. श्री चंद्र शेखर साहू

21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगी; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इसके सभापति के रूप में नियुक्त करें ।... (व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): सर, इसमें स्मॉलर पार्टिज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल करना चाहिए ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य, अर्थात्:-”

1. श्री सी.पी. जोशी
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
4. श्रीमती पूनमबेन माडम
5. श्री रामदास तडस
6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
7. डॉ. निशिकांत दुबे
8. सुश्री सुनीता दुग्गल
- 9 श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्रीमती जसकौर मीना
11. श्री राम कृपाल यादव
12. डॉ. ढालसिंह बिसेन
13. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
16. श्री कल्याण बनर्जी
17. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
18. श्री हेमन्त पाटिल
19. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
20. श्री चंद्र शेखर साहू
21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगी; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इसके सभापति के रूप में नियुक्त करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : हम सभी स्टैकहोल्डरों को बुलाते हैं । आप निश्चित रहिए, हम आपकी भी सलाह लेंगे, सबकी सलाह लेंगे ।

... (व्यवधान)